

विचार बिन्दु

खुद के लिये जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता पर जब आप दूसरों के लिये जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिये जीते हैं।

—श्री परमहंस योगानंद

झूठ के पाँव नहीं होते

तथाकथित शराब कांड के प्रकरण में सी बी आई कोर्ट के न्यायाधीश जितेंद्र सिंह द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2026 को दिए गए निर्णय से यह कहावत एक बार पुनः सही सिद्ध हुई है कि 'झूठ के पाँव नहीं होते'। न्यायालय ने अपने 598 पृष्ठों के विस्तृत फैसले में आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, सांसद संजय सिंह सहित इस प्रकरण के सभी 23 अभियुक्तों के विरुद्ध मुकदमा चलने लायक ही नहीं माना। यदि मुकदमा चलता तो शायद 5-10 सालों तक ट्रायल ही होती, और तब तक भाजपा इन सबको भ्रष्टाचारी बताती रहती। मुकदमा चलने लायक ही नहीं मानकर सबको दोष मुक्त घोषित कर दिया गया है। इस निर्णय को सी बी आई और अभियोजन पक्ष पर प्रत्यक्ष रूप से तथा सरकार के मुंह पर, परीक्षा रूप से कड़ा तमाचा ही कहा जाएगा।

वर्तमान केंद्र सरकार सी बी आई, ई डी, आयकर विभाग आदि केंद्रीय एजेंसियों का, विपक्षी नेताओं के विरुद्ध किस प्रकार दुरुपयोग कर रही है यह सर्व विदित है। कहा जाता है कि कोई झूठ 100 बार बोला जाय तो उसे लोग सच मानने लगते हैं। भाजपा और केंद्र सरकार ने गत पांच सालों में यही किया और केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य आप नेताओं को शराब कांड में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचारी बताते हुए दिल्ली का चुनाव तक जीत लिया। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं ने कुल मिलाकर 82 भाग जेल में बिताए। मीडिया तो वैसे ही सत्ताधारी दल और केंद्र सरकार के नियंत्रण में था ही। लगभग प्रतिदिन केजरीवाल और अन्य के भ्रष्टाचार पर चर्चा होती रही। दिल्ली की जनता ने केंद्र सरकार के इस दृष्टांतर के आधार पर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को भ्रष्ट मानते हुए 'आप' को चुनाव में हराकर सत्ता से बाहर कर दिया। ऐसा करते समय उसने दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अच्छे कामों को भी याद नहीं रखा।

पाठकों को यह जानना चाहिए कि बरी होने में और आरोप मुक्त होने में बहुत अंतर है। पूरी ट्रायल के बाद कोई व्यक्ति, आरोप सिद्ध नहीं होने पर न्यायालय द्वारा बरी किया जाता है, जबकि आरोप मुक्त होने का अर्थ यह है कि अभियुक्तों के विरुद्ध चार्ज शीट ही खींचाकर होने लायक ही नहीं है।

इस प्रकरण से यह बात भी प्रमाणित होती है कि विभिन्न जांच एजेंसियों के अफसरों ने कैसे रीढ़ बिहीन होकर साक्षात् दंडवत करते हुए, सत्ताधारी दल के इशारे पर, केजरीवाल और अन्य लोगों को पूरी तरह झूठे मामले में फंसाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में न केवल सी बी आई की धृष्टता उदाहरित बल्कि यहाँ तक कहा कि उसने पहले केजरीवाल, सिसोदिया को फंसाने का निर्णय लिया और उसी अनुसार झूठे दस्तावेज और गवाह तैयार किए। न्यायालय ने इस प्रकरण के जांच करने वाले सी बी आई अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का भी आदेश दिया।

पाठकों के लिए इस प्रकरण को कुछ विस्तार से समझना आवश्यक है ताकि वे जान सकें कि कैसे सत्ताधारी दल अपने राजनीतिक विरोधियों को ठिकाने लगाने का काम करता है।

दिल्ली में शराब नीति लागू करने और उसे कुछ समय बाद वापस लेने का मामला 2022 में काफी विवाद में आया था। यह कहा गया था कि इस प्रकरण में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल मनीष सिसोदिया ने अन्य लोगों के साथ मिलकर करोड़ों रुपए का धोखा किया। यह खबर कई दिनों तक मीडिया में पूरी तरह छाई रही। अब न्यायालय ने सारे दस्तावेजों और गवाहों के बयानों को देखने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि बिना किसी कानूनी आधार के, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को शराब कांड का प्रमुख षडयंत्रकारी और सूत्रधार मान लिया गया जबकि उनकी कोई भूमिका इस प्रकरण में थी ही नहीं। न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि केजरीवाल को केवल एक पक्षद्वेषी व्यक्ति के बयान के आधार पर आरोपी बनाया गया जबकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं था, जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि केजरीवाल का किसी प्रकार से इस पूरे प्रकरण में कोई हाथ था। जिस गवाह के बयान को सीबीआई ने प्रमुख आधार बताया, उसे ही न्यायालय ने अविश्वसनीय मान लिया और कहा कि उसके बयान के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषी नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने रेड्डी के पुत्र माधुटा के बयान को इस आधार पर खारिज कर दिया कि किसी भी अन्य स्वतंत्र साक्ष्य से उसके बयान की पुष्टि नहीं होती है। उसने केवल सुनी - सुनाई बातों पर अपना बयान दिया जिसे रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। न्यायालय ने यह भी कहा कि जिन 10-12 व्यक्तियों की उपस्थिति में केजरीवाल की रेड्डी के साथ मीटिंग की बात कही गई, उनमें से किसी का भी बयान नहीं कराया गया। इस से अभियोजन पक्ष की कमजोरी स्पष्ट होती है, ऐसा न्यायालय ने माना।

सीबीआई ने एक पक्ष-द्रोही गवाह दिनेश अरोड़ा को प्रस्तुत किया जिसने धनराशि को प्राप्त करने के बारे में कहा था। न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि दिनेश अरोड़ा ने कभी भी केजरीवाल का नाम इस संबंध में नहीं लिया था। यह कहना कि दिनेश अरोड़ा की जानकारी में केजरीवाल की षडयंत्र में कोई भूमिका थी, सही नहीं है। इसी प्रकार न्यायालय ने सीबीआई के इस आरोप कि 'आप' और मनीष सिसोदिया इस तथाकथित कांड के प्रमुख सूत्रधार थे, को खारिज कर दिया। न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला कि दिल्ली की शराब नीति, सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तृत विचार विमर्श के बाद बनाई गई और इसमें कोई एक तरफा निर्णय तत्कालीन रूचि मंत्री मनीष सिसोदिया के द्वारा नहीं लिया गया था। न्यायालय ने कहा कि नीति बनाने के लिए पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है और विभाग में प्रत्येक स्तर पर मंत्री और

अधिकारियों के परस्पर विचार विमर्श के बाद इस नीति को बनाया गया था।

सीबीआई कोर्ट के जज जितेंद्र सिंह के इस फैसले से यह भी सिद्ध होता है कि किसी को भी झूठे आरोपों में फंसाने के लिए कितना ही प्रयास किया जाए और कितने ही दस्तावेज तैयार किया जाए, यदि जज साहसी हो और न्याय प्रक्रिया में पारंगत हो, तो प्रकरण अधिक समय तक नहीं टिक सकता। सीबीआई ने लगभग 4 वर्ष तक अनुसंधान किया और लगभग 60000 पेज की चार्ज शीट तैयार की। इन सब का गहन अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद जिस प्रकार का निर्णय न्यायाधीश ने दिया है, वह एक मिसाल कायम करता है। यह निर्णय तपती दोपहर में टंडी फुहार की तरह आशा का संचार करता है। सत्ता पूरी ताकत के साथ यदि किसी को परेशान करना चाहे तो न्यायपालिका अब भी उसके लिए सुरक्षा कवच का काम कर सकती है। यह खबर तब ही है जब न्यायाधीश, बिना किसी संभावना और प्रलोभन के अपना काम करें। यह उल्लेखनीय है कि जितना समय अनुसंधान में जांच एजेंसियां जानबूझकर लगा देती हैं, उससे अभियुक्त, विशेष कर राजनीतिक रूप से प्रताड़ित अभियुक्त, को कई बार इतनी बड़ी क्षति हो चुकी होती है कि उसकी क्षतिपूर्ति आसानी से नहीं हो पाती है।

केजरीवाल का यह कहना बड़बोलाना हो सकता है कि यदि आज दिल्ली विधानसभा सभा का चुनाव कराया जाय तो भाजपा को 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी, किंतु यह भी सत्य है कि दिल्ली विधानसभा के गत चुनाव में केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित आम नेताओं को केवल जांच एजेंसियों द्वारा किए गए अनुसंधान के आधार पर जनता के समक्ष लगातार भ्रष्ट घोषित करने का बहुत प्रभाव हुआ है। जनमानस भी एक बार यह सोचने को विवश हुआ कि यह कहीं ये दोनों नेता और 'आप' पार्टी भ्रष्ट तो नहीं हैं? मजे की बात यह भी है कि सत्ताधारी दल भाजपा द्वारा कभी 10 करोड़ के घोटाले की बात की गई तो कभी 100 करोड़ के घोटाले की। अब भाजपा द्वारा कहा जा रहा है कि आप नेताओं ने भ्रष्टाचार को सिद्ध करने वाले विभिन्न रिकॉर्ड को नष्ट कर दिया था। इसका जवाब कोई नहीं दे रहा कि जब दस्तावेज नष्ट हो ही गए थे तो फिर सीबीआई ने किस आधार पर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित 23 व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट दायर की।

यह एक विडंबना ही है कांग्रेस ने इस निर्णय को भाजपा की इच्छा के अनुरूप लिया गया निर्णय बताया है और कहा कि कैसे भाजपा को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा किया गया। ऐसा करके वह विपक्षी दलों की चुनावी संभावनाओं को लाभ ही पहुंचा रही है। भाजपा को सबसे बड़ा लाभ यही है कि विपक्ष बिखरा हुआ है और एक दूसरे से ही लड़ने में लगा हुआ है। भाजपा द्वारा एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से नेताओं को प्रताड़ित करने का प्रकोप सभी विपक्ष दलों द्वारा भोगा जा रहा है। इस परिस्थिति में सभी विपक्ष दलों को इस निर्णय का एकजुट होकर स्वागत करना चाहिए था और सरकार पर यह दबाव बनाया चाहिए था कि वह केवल विपक्षियों को फंसाने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग न करे।

सीबीआई ने कहा है कि वह इस निर्णय के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील करेगी, जिसका उसे पूरा अधिकार है। जिस प्रकार के इतर शब्दों का प्रयोग करते हुए सीबीआई जज ने आरोपों को तय करने से ही मना कर दिया, उससे ऐसा लगता है कि हाईकोर्ट में कोई राहत सीबीआई को संभवतया नहीं मिले। सीबीआई प्रकरण में आरोप मुक्त होने से केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के विरुद्ध ई डी द्वारा दायर प्रकरण भी कमजोर हुआ है।

आशा की जानी चाहिए कि सीबीआई जज जितेंद्र सिंह के इस साहसिक निर्णय के बाद जहाँ एक ओर सत्ताधारी दल केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने से बचेगा वहीं दूसरी ओर एजेंसियों के अधिकारी भी संविधान के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाते हुए एवं अपनी रीढ़ को सीधे रखते हुए केवल सत्ताधारी दल की इच्छा अनुसार काम करने की प्रवृत्ति से बचेंगे। यदि ऐसा हो पाया तो यह एक स्वस्थ लोकतंत्र की दिशा में एक मजबूत कदम होगा।

फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि झूठ को कितना भी मजबूती से प्रस्तुत किया जाए, वह अधिक समय तक टिक नहीं सकता, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। हमें तो बस सीबीआई जज जितेंद्र सिंह को इस निर्णय के लिए सलाम करने का मन करता है।

—अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भागवत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



प्रो. कैलाश सोडानी

भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत एवं पदानुक्रमित प्रणाली है। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय (दिल्ली) शीर्ष पर है फिर उच्च न्यायालय (25) और सबसे नीचे जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जो विधिक एवं कार्यपालिका से स्वतंत्र है। भारतीय न्यायपालिका ने न्यायपालिका को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा गया है। जिससे न्यायपालिका बिना किसी दबाव के नागरिकों के संविधान प्रदत्त अधिकारों की रक्षा कर सके।

नागरिकों को रोटी-रोजी एवं न्याय

की उपलब्धता के आधार पर समाज को श्रेष्ठता की श्रेणी में देखा जाता है। रोटी-रोजी एवं बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराना विधिक एवं कार्यपालिका की जिम्मेदारी है और समय पर न्याय प्रदान करना न्यायपालिका का काम है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता नहीं है। न्यायपालिका देश की लोकतान्त्रिक, राजनीतिक संरचना का एक हिस्सा है। न्यायपालिका देश के संविधान लोकतान्त्रिक परम्परा और जनता के प्रति जवाबदेह है। भारत के एक प्रभुतासम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य बनने के दो दिन बाद 28 जनवरी, 1950 को उच्चतम न्यायालय का शुभारम्भ हुआ। वैसे भारत का कानूनी और न्यायिक इतिहास 5000 वर्ष पुराना है। कानून एक गतिशील अवधारणा है जो समय-समय पर मानव के ज्ञान एवं विज्ञान की प्रगति के साथ-साथ समाज की आवश्यकताओं के अनुसार निरन्तर बदलती और विकसित होती रहती है। वर्तमान अदालतों और कानूनों ने बरसों के प्रयोग और नियोजन के बाद वर्तमान स्वरूप प्राप्त किया है।

वैसे तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व के शक्तिशाली न्यायालयों में से एक है परन्तु धरातल पर यह भी सही है कि भारतीय अदालतें गरीब को न्याय देने में असफल रही हैं। ऐसा लगता है भारत की न्यायिक व्यवस्था आम आदमी के लिये नहीं है। भारतीय न्यायपालिका में लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों में है। जिसमें 5 करोड़ से ज्यादा मामले निचली अदालतों, लगभग 63 लाख मामले उच्च न्यायालयों में और लगभग 90,000 मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्याय में देरी अन्याय के समान है। लंबित मुकदमों की संख्या के आधार पर आज देश में करोड़ों आम नागरिक न्याय के लिए तरस रहे हैं। तारीख पर तारीख की व्यवस्था से आम आदमी दुखी हो चुका है। सरकारी कार्यालयों की भांति न्यायालयों में भी भ्रष्टाचार का बज्रूद बढ़ ता जा रहा है। चर्चा में यह भी है कि जजों एवं वकीलों के मज्जे नापाक गठजोड़ बन रहे हैं। जाने-माने कानूनी विशेषज्ञ और पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री, भारत सरकार शक्तिभूषण ने खुलासा किया कि उच्चतम न्यायालय के 16 पूर्व मुख्य

न्यायाधीशों में से कम से कम 8 निश्चित रूप से भ्रष्ट हैं। हलफनामे में 16 पूर्व सी.जे.आई. के नामों का भी उल्लेख किया है। न्याय में देरी का एक कारण न्यायाधीशों की अनुपस्थिति भी है। भारतीय विधि आयोग के अनुसार प्रत्येक दस लाख नागरिकों पर कम से कम 50 न्यायाधीश होने चाहिये, जबकि उपलब्धता मात्र 21 ही है। न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर भी विवाद की स्थिति है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्तमान कॉलेजियम व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, जबकि सरकार नियुक्ति का अधिकार अपने नियंत्रण में लेना चाहती है। वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकते हैं। नियुक्ति में भाई-भतीजावाद इसी प्रणाली की देन है। नियुक्ति में विधायिका के दखल से दलगत राजनीति के आने की संभावना रहेगी। न्यायाधीशों की नियुक्ति में तत्काल सुधार अपेक्षित है जो पूर्ण विश्वसनीय एवं पारदर्शी हो।

न्यायालयों की स्वतंत्रता के लिए न्यायाधीशों को पदमुक्त करने की प्रक्रिया भी अत्यन्त कठिन है। स्वयं संसद भी न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती है। हमारे देश में किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की गुंजाइश नहीं के बराबर है।

पिछले कुछ समय से भारतीय न्यायपालिका, कार्यपालिका की निष्पक्षता के फलस्वरूप उत्पन्न रिक्तता को भरने का प्रयास कर रही है। जनहित याचिका ने न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करके पहले से अधिक जवाबदेह एवं लोकप्रिय बना दिया है। परन्तु दूसरी ओर न्यायपालिका अपना स्वयं का प्राथमिक काम सरल एवं त्वरित न्याय देने में असमर्थ हो रही है। कुछ कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायिक सक्रियता से सरकार के तीनों अंगों के मध्य पारस्परिक सन्तुलन बिगड़ सकता है।

निःसंदेह देश में कार्यपालिका एवं विधायिका की तुलना में न्यायपालिका की प्रतिष्ठा अधिक है। लोगों में आस्था एवं विश्वास है। न्याय भी मिल रहा है परन्तु थोड़ी देर से। इस दर को ठीक करने की जरूरत है।

—प्रो. कैलाश सोडानी,
पूर्व कुलपति, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

क्या भारतीय उच्च शिक्षा मैकाले युग में वापस जा रही है?



अशोक कुमार

लॉर्ड मैकाले का प्रसिद्ध कथन था कि वह एक ऐसी श्रेणी बनाया चाहता है जो "रक्त और रंग में भारतीय हो, लेकिन रुचि, राय, नैतिकता और बुद्धि में अंग्रेज हो।" मैकाले युग की शिक्षा को तीन मुख्य विशेषताएँ थीं: अंग्रेजी की सर्वोच्चता, भारतीय ज्ञान परंपरा की उपेक्षा और केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए मानव संसाधन तैयार करना। आज जब हम उच्च शिक्षा की स्थिति देखते हैं, तो पाते हैं कि नीतियाँ बदलने के बावजूद धरातल पर कई चुनौतियाँ वैसे ही बनी हुई हैं।

1. नई शिक्षा नीति: डी-मैकालेवादीकरण का प्रयास
सरकार का दावा है कि, नई शिक्षा नीति 2020 मैकाले के प्रभाव को जड़ से खत्म करने का एक प्रयत्न है। इसके पक्ष में निर्मालिखित तर्क दिए जा सकते हैं:— भारतीय ज्ञान प्रणाली का एकिकरण: उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में अब प्राचीन भारतीय विज्ञान, गणित और दर्शन को शामिल

किया जा रहा है। यह उस हीन भावना को खत्म करने की कोशिश है जो मैकाले ने पैदा की थी।

बहुविषयक दृष्टिकोण : मैकाले की शिक्षा ने विषयों को खानों में बांट दिया था। नई नीति छात्रों को भौतिकी के साथ संगीत या अर्थशास्त्र के साथ इतिहास पढ़ने को आजादी देती है, जो समग्र बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है।

मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषाएँ: तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा को हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में उपलब्ध कराना अंग्रेजी के उस गढ़ को तोड़ने जैसा है जिसे मैकाले ने अभेद्य बनाया था।

2. बाजारीकरण: क्या कॉर्पोरेट क्लक तैयार हो रहे हैं?
मैकालेवाद की वापसी का सबसे बड़ा तर्क शिक्षा के व्यवसायीकरण से आता है।

कौशल बनाम ज्ञान: आज उच्च शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य प्लेसमेंट बन गया है। विश्वविद्यालय अब ज्ञान के केंद्र होने के बजाय जॉब ट्रेनिंग सेंटर में तब्दील हो रहे हैं। यदि मैकाले ने सरकारी क्लक बनाए थे, तो वर्तमान व्यवस्था कॉर्पोरेट क्लक तैयार कर रही है। छात्र दर्शन, साहित्य और मौलिक चिंतन के बजाय केवल वही कोडिंग या मैनेजमेंट स्किल सीख रहे हैं जो बाजार में बिक सके।

मानविकीकी उपेक्षा: जिस तरह मैकाले ने भारतीय संस्कृति और दर्शन को पिछड़ा बताया था, आज का बाजार उन विषयों को अनुपयोगी मानकर हाशिए पर डाल रहा है जिनका सीधा

आर्थिक लाभ नहीं दिखता।

3. रटने की संस्कृति और कोचिंग माफिया
मैकाले युग में स्मृति का परीक्षण होता था, न कि मेधाका। आज की स्थिति इससे बहुत अलग नहीं है:

प्रतियोगी परीक्षाओं का दबाव: परीक्षाओं ने उच्च शिक्षा के प्रवेश द्वार को एक रटत मशीन बना दिया है। छात्र गहराई से विषय समझने के बजाय शॉर्टकट ट्रिक्स और हल करने की तकनीक सीख रहे हैं। कोचिंग हब: कोटा जैसे शहर आधुनिक समय के वह कारखाने हैं जहाँ छात्रों की मौलिकता और सृजनशक्ति को बलि चढ़ाकर उन्हें एक जैसे सॉच में ढाला जा रहा है। यह मैकाले की उस फैक्ट्री प्रणाली का आधुनिक रूप है जहाँ सबको एक समान उत्पाद बनाया था।

4. अंग्रेजी का बढ़ता प्रभुत्व और डिजिटल विभाजन
भले ही कागज़ पर क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता यह है कि बौद्धिक संप्रातवाद आज भी अंग्रेजी से जुड़ा है।

ग्लोबल वर्सेज लोकल: शोध पत्र, वैश्विक सम्मेलन और उच्च स्तरीय नौकरियाँ आज भी उसी के पास हैं जिसकी अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत है। यह समाज में एक गहरा विभाजन पैदा कर रहा है। डिजिटल डिवाइड: आधुनिक तकनीक ने एक नया वर्ग तैयार किया है जिसके पास हाई-स्पीड इंटरनेट और गैजेट्स हैं। यह वर्ग वैचारिक रूप से पश्चिम के इतना करीब है कि वह

अपनी ज़मीनी हकीकत से कट चुका है। यह ठीक वैसे ही स्थिति है जैसी मैकाले चाहते थे—एक ऐसा वर्ग जो अपने ही देश में अजनबी हो।

5. शोध और मौलिकता का अभाव
मैकाले की शिक्षा का उद्देश्य भारतीयों को अनुयायी बनाया था, अन्वेषक नहीं।

पश्चिमी सिद्धांतों का अंधानुकरण: आज भी हमारे सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के सिद्धांत पश्चिमी विश्वविद्यालयों की रिसर्च पर आधारित होते हैं। हम भारतीय समस्याओं का समाधान भी पश्चिमी चश्मे से ढूँढते हैं।

बौद्धिक दासता: उच्च शिक्षा में पेटेंट और मौलिक शोध के मामले में हम अभी भी पीछे हैं। जब तक हमारा शोध मौलिक नहीं होगा, हम मानसिक रूप से मैकाले के युग में ही रहेंगे, जहाँ ज्ञान हमेशा बाहर से आता है।

6. रोजगार क्षमता का संकट
मैकाले की शिक्षा ने बेकारों की फौज खड़ी की थी जो शारीरिक श्रम से नफरत करते थे। आज की उच्च शिक्षा में भी डिग्री और कौशल के बीच गहरी खाई है। लाखों इंजीनियर और स्नातक डिग्री होने के बावजूद बेरोजगार हैं क्योंकि वे उद्योग की जरूरतों के हिसाब से कुशल नहीं हैं। यह शैक्षणिक विफलता छात्रों में कुंठा पैदा करती है, जो उन्हें पुनः उसी क्लक वाली सुरक्षित मानसिकता की ओर धकेलती है।

समाधानों की राह: मैकाले से आगे का भारत—यदि हमें वास्तव में मैकाले

युग से बाहर निकलना है, तो हमें केवल पाठ्यक्रम नहीं, बल्कि दृष्टिकोण बदलना होगा:—

अनुसंधान केंद्रित शिक्षा: विश्वविद्यालयों को केवल परीक्षा लेने वाली संस्थाओं के बजाय शोध के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा।

श्रम का सम्मान: व्यावसायिक शिक्षा को मुख्यधारा से जोड़ना होगा ताकि हर स्नातक केवल सफेदपोश नौकरी के पीछे न भागे।

नैतिक और चरित्र का निर्माण: जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था—“शिक्षा वह है जो मनुष्य का निर्माण करे।” शिक्षा को केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला बनाना होगा।

निष्कर्ष— निष्कर्षतः, यह कहना कि हम पूरी तरह मैकाले युग में वापस जा रहे हैं, हमारे वर्तमान प्रयासों का अपमान होगा। लेकिन यह कहना भी गलत नहीं होगा कि मैकाले की आत्मा आज भी हमारे परीक्षा पैटर्न, अंग्रेजी के प्रति हमारे मोह और हमारी रटने वाली संस्कृति में जीवित है। हम एक संक्रमण काल में हैं। एक तरफ नई शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीयता को पुनः स्थापित करने की छटपटाहट है, तो दूसरी तरफ वैश्विक बाजार की अंधी दौड़ हमें वापस उसी लिपिक मानसिकता की ओर खींच रही है। हम मैकाले से तब मुक्त होंगे जब हमारी शिक्षा हमें नौकरी ढूँढने वाला नहीं, बल्कि सृजन करने वाला और स्वतंत्र विचारक बनाएगी।

—अशोक कुमार,
विभागाध्यक्ष राक्षस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

मंडावा में होली पर निकले पापम्परिक गैर जुलूस ने सामाजिक एकता का संदेश दिया

झुंझुनू/मंडावा, (निर्स)। रंगों के महापर्व होली पर मंडावा में इस वर्ष सामाजिक समरसता, राजनीतिक सौहार्द और सांस्कृतिक गौरव का ऐसा अद्भुत दृश्य देखा, जिसने पूरे क्षेत्र को उत्साह और उल्लास से सरबोबर कर दिया। नगरपालिका मंडावा के पास से निकला पारंपरिक गैर जुलूस जब मुख्य मार्गों से गुजरा तो हर ओर रंगों की बौछार, ढोल-नगाड़ों की गूँज और होली है के जोशीले स्वर वातावरण में गूँज उठे।

गैर जुलूस में उमड़ा जनसैलाब

रंगों में भीगा यह गैर जुलूस केवल एक परंपरागत आयोजन नहीं रहा, बल्कि सामाजिक समरसता और जनएकता का जीवंत दस्तावेज बन गया है।

इस बात का साक्ष्य बना कि होली केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि दिलों को जोड़ने का अवसर है। बच्चे, युवा, महिलाएँ और बुजुर्ग—सभी वर्गों की सहभागिता ने इसे जन उत्सव का रूप दे दिया। गुलाल से रंगे चेहरे और उमंग से भरे कदम मंडावा की गलियों को जीवंत चित्र में बदलते नजर आए।

गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएँ दी और सामाजिक एकता का संकल्प संदेश दिया।

गौरतलब है कि मंडावा का गैर जुलूस वर्षों पुरानी परंपरा का प्रतीक है, लेकिन इस बार इसकी भण्यता और जनसहभागिता ने इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान कर दिया। लोकधुनों पर धिक्कते युवाओं की टोली, पारंपरिक वेशभूषा में सजे प्रतिभागी और अनुशासित व्यवस्था—हर पहलू आयोजन की गरिमा को बढ़ाता नजर आया। राजनीतिक और सामाजिक

नेतृत्व की एक साथ मौजूदगी ने यह स्पष्ट किया कि त्योहार समाज को जोड़ने की ताकत रखते हैं।

यहाँ रंगों ने पंचपाव को हर रेखा मिटाकर केवल प्रेम, विश्वास और अपनत्व का संदेश दिया। रंगों में भीगा यह गैर जुलूस केवल एक परंपरागत आयोजन नहीं रहा, बल्कि सामाजिक समरसता और जनएकता का जीवंत दस्तावेज बन गया। मंडावा की धरती पर उमड़ा यह जनसैलाब लंबे समय तक भाईचारे, प्रेम और सौहार्द की प्रेरणा देता रहेगा।

राशिफल गुरुवार 5 मार्च, 2026

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, द्वितीया तिथि, गुरुवार, विक्रम संवत् 2082, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र
प्रातः 8:18 तक, शूल योग प्रातः 7:46 तक, गर करण सायं 5:04 तक, चन्द्रमा आज गृह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-कन्या, मंगल-कुम्भ, बुध-कुम्भ, गुरु-मिथुन, शुक्र-मीन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह
आज भाईदोज और कलमदान पूजा, चित्रगुप्त पूजा, सन्त तुकाराम जयन्ती है। महापात योग दिन 3:03 से सायं 7:05 तक है।
श्रेष्ठ चौघड़िया: शुभ सूर्योदय से 8:18 तक, चर 11:12 से 12:38 तक, लाभ-अमृत 12:38 से 3:32 तक, शुभ 4:59 से सूर्यास्त तक।
राहूकाल: 1:30 से 3:00 तक। सूर्योदय 6:51, सूर्यास्त 6:26

मेष
परिवार में चल रहे आपसी मतभेद समाप्त होंगे। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होंगी। विवाहित मामलों से राहत मिल सकती है। परिवार में मांगलिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

वृष
परिजन के व्यवहार के कारण दुःख हो सकता है। आवश्यक और महत्वपूर्ण मामलों में दुविधा बनी रहेगी। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन
घर-परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी।

कर्क
परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/परिजन के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। धार्मिक कार्यों में भाग ले सकते हैं।

सिंह
आर्थिक कारणों से अटक हुए कार्य बने लगे। संभावित ख़ौब से धन प्राप्त होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में शुभ संदेश प्राप्त होंगे। मानसिक तनाव दूर होगा। घर-परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

तुला
व्यावसायिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी हो सकती है।

वृश्चिक
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटक हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में अतिथियों के आगमन से उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

धनु
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटक हुए व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बने लगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

मकर
नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशयसून प्राप्त होंगे। अटक हुए कार्य बने लगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है।

कुंभ
चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान हो सकता है। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। नेत्रों का काय चिकित्सा करवाएँ। स्वप्नापन की बेजोड़ पर नियंत्रण रखें।

मीन
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।